थारू परिवारों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन

Tharu Pariwarow Ki Arthik Sthiti Ka Adhyayan

डॉ0 उषा पंत जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र विभाग
एम0 बी0 राज0 पी0 जी0 कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल

गणेश चंद, रिसर्च स्कॉलर,अर्थशास्त्र विभाग
एम0 बी0 राज0 पी0 जी0 कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल

शोध सार

भारत वर्ष में आदिकाल से ही विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते आये है। उत्तराखंड जो की ९ नम्बर २००० से पूर्व अविभाज्य उत्तर प्रदेश का अभिन्न अंग था यहाँ पर्वतीय जान जातियों की विरासत व संस्कृति अनोखी थी। इन जान जातियों ने आदिकाल से ही अपने जीवन की मुश्किलों को आसान करने के लिए वयक्तिगत सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक संघर्ष जारी रखा। लेकिन इनकी आर्थिक स्थति जो की बड़ी दयनीय इतिहास की साक्षी रही है । इनके अर्थी उत्त्थान हेतु भारत सरकार ने विभिन्न आर्थिक योजनाए आरम्भ की है। इन योजनाओ के द्वारा विभिन्न जनजातीय परिवारों की आर्थिक स्थति में सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित हुआ है ।

इस शोध पत्र में थारू जनजातियों के परिवारों की आर्थिक स्थति का अध्ययन करने के दृष्टिगत सरकार की विभिन्न योजनाओ व विकास कार्यक्रमो पर एक विहंगम दृष्टि डालने की सार्थक कोशिस की गयी है।

सरकार द्वारा चलाये गये विकास कार्यक्रम

एकीकृत जनजाति विकास परियोजना :

यह परियोजना 70 के दशक में चलायी गई थीं शुरूआत में यह परियोजना जागरूकता के अभाव में अपनी छाप नहीं छोड़ पायी। अस्सी और नब्बे के दशक में इसने थारू समुदाय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इस परियोजना के माध्यम से इस समुदाय के लोगों को बैलगाड़ी, भैंस, सिलाई मशीन, गोबर गैस और डीजल इन्जन छूट और अनुदान में दिये जाते थे लेकिन दलाल एवं परियोजना के कर्मचारियों की मिलीभगत से कई काम अनुदान वाले कागजों में या निम्न श्रेणी का सामान उपलब्ध कराया जाता था तथा दूसरी बात इसका लाभ गरीब तबके को कम, चालाक एवं जानकार लोगों को अधिक मिला। बहुत से लोग कर्ज के डर से ऋण लेने से डरते थे।

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय :

उत्तराखंड राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिकाओं के शैक्षिक विकास एवं उत्थान के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा 16 राजकीय आश्रम पद्दति विद्यालयों का सञ्चालन किया जा रहा है.इसमें बालिकाओं क लिए 4 हाईस्कूल स्तर तक एवं 1जूनियर हाई स्कूल तक का विद्यालय संचालित किया जा रहा है.इसी तरह बालकों के लिए 8 हाई स्कूल स्तर तक एवं 1 जूनियर हाईस्कूल स्तर तक तथा 2 प्राइमरी स्तर तक क विद्यालयों का सञ्चालन किया जा रहा है.उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के पश्चात जो विद्यालय किराये के भवन में चलाये जा रहे थे उनके लिए स्वयं के भवन के निर्माण कार्य किया जा रहा है एवं जो जीर्णशीर्ण भवन हैं उनकी मरम्मत की जा रही है. सितारगंज ओर खटीमा में थारू जनजाति के विकास के लिए दो आश्रम पद्धति विद्यालय बिडौरा मझोला (सितारगंज) और खटीमा में खोल गये ताकि गरीब जनजाति के लोग इन विद्यालयों में पढ़ सकें। 1970 के आस-पास तो बहुत से माँ-बाप अपने बच्चों को अकेला भेजना पसन्द नहीं करते थे तथा कई भोटिया जनजाति के छात्र भी यहाँ विद्या अर्जन करने के लिए आते थे। थारू समुदाय के केवल अच्छे घर के बच्चे ही यहाँ शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। गरीब बच्चों को तो प्रवेश ही नहीं मिल पाता है तथा वे आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण पढ़ाई में भी कमजोर होते हैं और टेस्ट पास कर नहीं पाते हैं तथा 1990 के आस-पास प्रवेश के लिए घूस भी देनी पड़ती थी। अतः गरीब बच्चे प्रवेश से वंचित रह जाते थे और पैसे वाले गलत आय के आधार पर प्रवेश पा जाते थे। विद्यालय समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित होते थे तथा छात्रों को प्राम्भिक कक्षा से अंतिम कक्षा तक मुफ्त आवास, भोजन, किताब-कापी,दवाइयां और वस्त्र उपलब्ध कराये जाते हैं। वर्तमान समय में थारू जनजाति के छात्र-छात्राएं गूलरभोज, गोपालनगर (गदरपुर) और लालढाँग (हरिद्वार) में भी अध्ययनरत हैं तथा बालिकाओं हेतु बिडौरा मझोला में 2007 से आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हो रहा है। अब ये विद्यालय उत्तराखण्ड जनजाति निदेशालय द्वारा संचालित हो रहे हैं।वर्तमान में चम्पावत जिले में कोई भी राजकीय आश्रम पद्दति विद्यालय संचालित नहीं है.उधमसिंह नगर जिले में संचालित राजकीय आश्रम पद्दति विद्यालय की सूचि निम्न है-

क्र.सं.	संस्था का नाम	छात्र क्षमता	भवन की स्थिति
1.	राजकीय आश्रम पद्दति विद्यालय (बालक)खटीमा कक्षा 1 से 10 तक	245	विभागीय भवन
2.	राजकीय आश्रम पद्दति विद्यालय(बालिक) खटीमा कक्षा 6 से 8 तक	105	विभागीय भवन
3.	राजकीय आश्रम पद्दति विद्यालय (बालक)गदरपुर कक्षा 6 से 10 तक	175	विभागीय भवन
4.	राजकीय आश्रम पद्दति विद्यालय(बालिक) गुलारभोज कक्षा 6 से 10 तक	185	विभागीय भवन
5.	राजकीय आश्रम पद्दति विद्यालय (बालक) विडोरा कक्षा 6 से 10 तक	175	विभागीय भवन

उपरोक्त दिए गिये विद्यालयों की सूची में खटीमा एवं विडोरा में थारू जनजाति के बालक एवं बालिकायें अध्ययन करते हैं.

स्रोत- http://socialwelfare.uk.gov.in/pages/display/104-scheduled-tribes-welfare

मनरेगा-

मनरेगा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना भारत में एक रोजगार गारंटी योजना है ,जिसे 7 सितम्बर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया था.शुरू में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कहा जाता था परन्तु 2 अक्टूबर 2009 से इसे मनरेगा कहा जाने लगा.इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण जनसँख्या का रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन को रोकना था.इसलिए केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण जनसँख्या के पलायन को रोकने के लिए एवं उन्हें उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध करने के लिए इस योजना को लागु किआ गया.मनरेगा के अंतर्गत निम्न कार्य कराये जाते हैं-

- जल का संरक्षण
- सूखे की रोकथाम के लिए वृक्षों को लगाना
- बाढ़ नियंत्रण
- भूमि सुधार एवं विकास
- विभिन्न तरह के आवास का निर्माण
- लघु सिचाई का कार्य
- बागवानी
- ग्रामीण सड़क निर्माण
- चेक डेम बनाना
- तालाब एवं कुवाँ का निर्माण एवं रखरखाव
- पानी की निकासी के लिए नाली बनाना
- कोई भी ऐसा कार्य जिसे केंद्र सरकार राज्य सरकार से सलाह लेकर अधिसुचित करती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं रोजगार के अवसर न होने के कारण आमदनी का यह एक अच्छा स्रोत है।थारू लोगों में अधिक पढ़ा लिखा न होना एवं परिवार के सदस्यों का अधिक होने के कारण मनरेगा योजना आमदनी का विकल्प रह जाता है।सदस्य संख्या का अधिक होने के कारण एक ही परिवार के 3 से 4 लोगों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध हो जाता है.इसके अंतर्गत कार्य करने वालों का जॉब कार्ड बनता है.जॉब कार्ड आने के बाद आवेदन की गई तारिख से 15 दिनों में आवेदन करता को काम प्रदान किया जाता है

.यदि ऐसा नहीं हो पता तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है एवं मजदूरी डीबीटी के माध्यम से सीधे मजदुर के खाते में आती है चाहे वह बैंक खाता हो या पोस्ट आफिस में बचत खाता.इस योजना के अंतर्गत 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है.किसी किसी राज्य में जरुरत एवं कार्यानुसार 150 दिन तक कार्यदिवस बढ़ा दिया जाता है.यदि मजदूरी की बात की जाए तो हर राज्य में मजदूरी की दर भिन्न है.वर्तमान में मनरेगा के तहत 220 रु प्रति दिन मजदूरी दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है परन्तु हर राज्य स्वयं भी मजदूरी तय कर सकता है परन्तु यह दर न्यूनतम मजदूरी दर से कम नहीं होनी चाहिए।

2006 से संचालित कार्यक्रम मनरेगा ने थारू लोगों की आय में बहुत वृद्धि की है। सबसे अधिक लाभ महिलाओं को प्राप्त हुआ है तथा महिलाएं आर्थिक क्षेत्र में पहले से कहीं अधिक सशक्त भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। लगभग 29% थारू जनजाति के लोग मनरेगा के कार्यों में लगे हुए हैं। लेकिन इस क्षेत्र में इस समुदाय के लोगों को 100 दिन का रोजगार नहीं दिया जा रहा है और न ही उन्हें बेरोजगारी भत्ता ही दिया जा रहा है लेकिन इस क्षेत्र में जाब कार्ड धारकों को बिना काम करे उनके बैंक खातें में धनराशि अवश्य हस्तान्तरित कर दी जा रही है। जिसे ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी व ब्लाक के कर्मचारियों की मिलीभगत से सम्बन्धित कार्ड धारक के खाते से ग्राम प्रधानों द्वारा पैसा निकलवा लिया जाता है तथा उसे (कार्ड धारक) को मनरेगा के मानकों के अनुरूप रुपये दे दिये जाते हैं। सरकारी कर्मचारी भी निर्माण कार्य में जे0सी0बी0 मशीन का प्रयोग करते हैं तथा दिखाते हैं ग्राम मनरेगा के तहत।

अंत्योदय योजना (2000)-

अन्त्योदय अन्न योजना की शुरुआत दिसम्बर 2000 में केंद्र सरकार द्वारा एक करोड़ गरीबों में भी सबसे गरीब लोगों के लिए की गई थी.इस योजना के अंतर्गत बी पी एल परिवारों में से सबसे गरीब परिवारों की चुना जाता है.इस योजना के अंतर्गत 2 रु प्रति किलो की दर से गेहूं तथा 3 रु प्रति किलो की दर से चावल दिया जाता है.इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार खाद्दान 25 किलो दिया जा रहा था परन्तु वर्तमान में इसे 35 किलो प्रति परिवार कर दिया गया है.इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले परिवारों की संख्या को वर्तमान में एक करोड़ लोगों से बढाकर 2.50 करोड़ लोगों को शामिल कर लिया गया है ताकि अधिक से अधिक गरीब परवारों की मदद की जा सके.अर्थात इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी की खाद्द सुरक्षा देते हुए भुख़रहित देश का निर्माण करना है. केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चाई जा रही योजना का लाभ थारू समुदाय के लोगों को नाममात्र का मिल रहा है। पूर्ति विभाग व सरकारी गल्ला विक्रेता की मिली भगत से 2010 तक इस समुदाय के बी0पी0एल0 लोगों का अनाज के बारे में जानकारी तक नहीं थी तथा गल्ला विक्रेता द्वारा उनके हिस्से का पूरा अनाज बेच दिया जाता था। आज भी कुछ लोगों को ही इस कार्यक्रम का लाभ मिल पा रहा है। बहुत से व्यक्ति

तो धन के अभाव में अनाज खरीद ही नहीं पाते हैं।इसके अतिरिक्त कई ऐसे गरीब थारू परिवार हैं जिन्हें बीपीएल में शामिल नहीं किया गया है.इसका लाभ उन लोगों को दे दिया जाता है जो आर्थिक रूप से संपन्न है।

अटल खाद्यान्न योजना -

इस योजना का लाभ अन्य वर्गों सहित थारू समुदाय के लोग खूब उठा रहे हैं। वे गेहूँ तथा अनाज अब इस योजना के माध्यम से नियमित रूप से ए0पी0एल0 और बी0पी0एल0 दोनों लाभ ले रहे हैं। यह योजना अपने दो वर्षों में काफी सफल रही है। लेकिन वर्तमान समय में कांग्रेस सरकार ने अनाज की मात्रा 35 किग्रा0 से घटाकर 10 किग्रा0 कर दिया है। इस योजना का लाभ थारू समुदाय के 80 प्रतिशत लोगों को प्राप्त हो रहा है और यह योजना अपने लक्ष्य में काफी सफल रही है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना-

इस योजना का प्राम्भ 2 अक्टूबर 1993 में भारत सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों के लिए शुरु की गई थी.इस योजना के अंतर्गत वे लोग जो पढ़े लिखे हैं एवं जिनकी उम्र 18-35 वर्ष के बीच हो यदि वे सामान्य जाति से सम्बंधित हैं एवं वे लोग जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित है,भूतपूर्व सैनिक है,विकलांग हैं,एवं महिला हैं उन्हें उम्र में 10 वर्ष की छूट प्राप्त है.नए प्रावधानों के अंतर्गत वे परिवार की आय 40000 रूपये सालाना से कम हो तथा कम से कम आठवी पास हों,इस योजना के पात्र हैं. ऐसे लोग रोजगार न मिल पाने के कारण बेरोजगारी में जीवनयापन कर रहे हैं,को लाभान्वित किया गया है.इस योजना के तहत बेरोजगार युवक युवतियों को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराकर स्वयं के रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है.बैंकों द्वारा 1 लाख से लेकर 2 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है.इसके अतिरिक्त 1 लाख तक के ऋण के लिए बैंक द्वारा कोई सामान अथवा जमीन गिरवी रखने का प्रावधान नहीं है.लिए गए ऋण को 3 से 7 वर्षों तक चुकाने का प्रवधान है.गांव में ऐसे कई शिक्षित बेरोजगर युवक एवं युवतियां हैं जो धन के अभाव में स्वयं का काम धंधा नहीं कर पाते.इस योजना का उद्देश्य ऐसे युवक एवं युवतियों को बैंकों से सस्ते में ऋण उपलब्ध कराना है ताकि वे आसानी ने कोई काम धंधा शुरू कर सकें।

थारू जनजाति के समुदाय के लिए यह योजना काफी लाभदायक है क्यूंकि इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए 22.5% आरक्षण है तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27.5% आरक्षण है। इस योजना का लाभ थारू जनजाति की मात्र 1 प्रतिशत जनसंख्या को भी प्राप्त नहीं हुआ है। अनावश्यक भाग-दौड़, ऋण और अनुदान स्वीकृत करने में रिश्वत व सरकारी कर्मचारियों की अरूचि के कारण इस वर्ग को इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सका है।इसके अलावा थारू जनजाति के लोगों में योजनाओं की जानकारी का अभाव होना एवं जागरूक न होने के कारण वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

स्रोत-http://dcmsme.gov.in/schemes/pmry.html

ग्रामीण बेरोजगारी तथा गरीबी निवारक कार्यक्रम-

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का शुभारम्भ 1 अप्रैल 1999 से हुआ। पूर्व में चल रही समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम ;प्त्क्च्द्ध, स्वरोजगार के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट की आपूर्ति का कार्यक्रम आदि योजनाओं को सम्मिलित कर लिया गया तथा लोगों को स्वरोजगार देने का प्रयास किया। लेकिन यह समुदाय इस योजना का लाभ पूरी तरह उठाने में सफल नहीं हो सका तथा यह योजना भ्रष्टाचार के चलते इस समुदाय में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रही है।

आम आदमी बीमा योजना -

इस योजना की शुरुवात केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2015 में की गई थी.इस योजना में सरकार ने जनश्री बीमा योजना को सम्योजित कर दिया है ताकि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को प्रशासन द्वारा सही तरीके से जीवन बीमा सम्बन्धी सहायता की जा सके.इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलता है जिनकी उम्र 18-59 वर्ष के बीच हैं.गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण एवं गरीबी रेखा से जरा सा ऊपर आने वाले ग्रामीण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नई आम आदमी बीमा योजना नाम से शुरू हुई है।इस योजना के अंतर्गत सामान्य मृत्यु की अवस्था में 30000 रूपये का मुआवजा किया जाता है.दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 75000 रूपये का मुआवजा ,दुर्घटना के कारण आंशिक अपंगता होने से 37,500 रुपये,एवं दुर्घटना के कारण पूर्ण अपंगता होने पर 75000 का मुआवजा दिया जाता है. इस योजना का एक लाभ यह भी है इस योजना के अंतर्गत प्रति बच्चे 100 रूपए प्रतिमाह (अधिकतम दो) छात्रवृत्ति की सुविधा भी है.यह सुविधा कक्षा 9 -12 तक एवं आई टी आई करने वाले विद्यार्थियों के लिए है.इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम 200 रूपये सालाना प्रति लाभार्थी होता है.इसका 50% भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है एवं शेष 50% अंश का भुगतान केंद्र द्वारा बनाई गई सामाजिक सुरक्षा फण्ड द्वारा किया जाता है। यह योजना थारू जनजाति के लोगों के लिए अति लाभदायक योजना है.सर्वेक्षण के अनुसार आंकडे बताते हैं की लगभग 50% थारू परिवार गरीबी रेखा के नीचे आते हैं।आर्थिक रूप से कमजोर थारू लोग जो मुख्यतः कृषि पर निर्भर हैं एवं आमदनी का पका स्रोत नहीं है वे अपने परिवार के लिए बीमा कर लाभ उठा सकते हैं.इसके अतिरिक्त वे परिवार जो बच्चों को कक्षा 8 के बाद आगे की शिक्षा देने में असमर्थ महसूस करते हैं वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.इसका एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ यह है की प्रीमियम का भुगतान भी सरकार द्वारा किया जाता है जिससे प्रीमियम के भुगतान का बोझ भी थारू

परिवार पर नहीं पड़ता.लेकिन थारू जनजाति के लोग जानकारी के अभाव में इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तथा वे समझते हैं की इसकी प्रीमियम 200 रू0 वार्षिक का भुगतान उनको ही देना होगा. इस कारण अभी भी थारू समाज की 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या बीमित नहीं है।

स्रोत -https://financialservices.gov.in/sites/default/files/Insurance%20Note.pdf

पुनर्गठत बीस सूत्रीय कार्यक्रम -

बीस सूत्रीय कार्यक्रम का प्रभाव थारू जनजाति में दिखाई पड़ रहा है। इससे ग्रामीण निर्धनता में कमी, अच्छी फसलें, सिंचाई के पानी का उपयोग, भूमि सुधार, पीने का साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, परिवार नियोजन, शिक्षा का विस्तार, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए न्याय, महिला समानता, युवाओं को नये अवसर, लोगों के लिए पक्के आवास, गाँव के लिए ऊर्जा की पहुंच और उत्तरदायी प्रशासन देखने को मिल रहा है। वह बीस सूत्रीय कार्यक्रम का लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है।

जननी सुरक्षा योजना -

इस योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 12 अप्रैल 2005 की गई थी.यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सुरक्षित प्रसव हेतु योजना है.इस योजना का उद्देश्य गरीब महिलाओं को अपने ग्राम के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना है ताकि मातृत्व एवं नवजात की मृत्यु दर को कम किया जा सके.यह एक केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है.इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला की प्रसव से पूर्व देखभाल प्रसव के दौरान देखभाल एवं प्रसव के पश्चात देखभाल के साथ साथ नकद सहायता भी प्रदान की जाती है.नकद आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है.परन्तु जहाँ बीपीएल कार्ड जारी नहीं हो सके हैं वहां राज्य अथवा ग्राम प्रधान या वार्ड मेम्बर को अधिकृत करते हुए प्रमाण पत्र देने का अधिकार दिया गया है.

श्रेणी	ग्रामीण क्षेत्र		कुल	शहरी क्षेत्र		कुल
	माता का पैकेज	आशा का पैकेज	रुपये	माता का पैकेज	आशा का पैकेज	रुपये
एलपीएस	1400	600	2000	1000	200	1200
एचपीएस	700	600	1300	600	200	800

सरकार तथा गरीब गर्भवती महिला के बीच सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता आशा एक कड़ी के रूप में कार्य करती है.

इस योजना का लाभ अब थारू समुदाय के लोग उठाने लगे हैं .जहाँ लगभग 50% थारू परिवार गरीबी रेखा के नीची आते हैं आमदनी के कम होने एवं निजी अस्पतालों में प्रसव के खर्चों को न उठा पाने के कारण यह योजना थारू जनजाति के लोगों के लिए काफी लाभदायक है.वे गर्भावस्था के दौरान नियमित टीकाकरण, जाँच एवं नजदीक के अस्पताल से परामर्श लेने लगे हैं तथा प्रसव अब घर की अपेक्षा 70 प्रतिशत अस्पताल में हो रहे हैं। जिससे शिशु एवं मात मृत्युदर में कमी आयी है। एनिमिया, और कुपोषण को रोकने में मदद मिली है तथा महिलाओं को प्रोत्साहन राशि मिलने के कारण वे अब अस्पताल में प्रसव कराने हेतु उन्मुख हुई हैं।

स्रोत-https://hi.nhp.gov.in/

सर्वशिक्षा अभियान -

सर्वशिक्षा अभियान की शुरुआत वर्ष 2000-2001 में की गई थी.शिक्षा पर सभी का अधिकार है परन्तु वर्तमान समय में भी ऐसे अनेक बच्चे हैं जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी अर्जित नहीं कर पाते.चाहे इसके पीछे कारण इनकी गरीबी हो या विद्यालयों का अभाव हो.इस योजना का उद्देश्य 6 से 14 वर्श आयुवर्ग के छात्र-छात्राओं को विद्यालय तक लाने में इस अभियान का विशेष योगदान रहा है।इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति,भूमिहीन किसान एवं मजदूर,मुस्लिम अल्पसंख्यक के बच्चों का अधिक से अधिक विद्यालयों में नामांकन कराना है ताकि वे निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकें.यह अभियान राज्य सरकार की सहभागिता से चलाया जा रहा है.इस योजना के अंतर्गत जहाँ स्कूल नहीं हैं वहां स्कूल खोलना,अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना,पीने के पानी एवं शौचालयों की व्यवस्था करना भी हैं. इसके अतिरिक्त स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करना,उन्हें उचित प्रक्षिक्षण देना एवं गुणवत्तायुक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना इस अभियान का उद्देश्य है.इस अभियान के बाद सितारगंज-खटीमा क्षेत्र में कई प्राथमिक और उच्च प्राथमिक व कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं। इस कार्यक्रम ने साक्षरता बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण एक ड्रापआउट और बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों में कमी आयी है। थारू समाज इस कार्यक्रम का भरपूर लाभ उठा रहा है।थारू जनजति कृषि प्रधान है एवं जनजाति का बड़ा हिस्सा गरीब होने के कारण आय में कमी होने से ये लोग बच्चों की शिक्षा पर खर्च नहीं कर पाते हैं.परन्तु इस योजना के आने से वर्तमान समय में लगभग हर गरीब परिवार के बच्चे विद्यालयों में नामांकन करा कर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

स्रोत-https://hi.vikaspedia.in/ and https://mhrd.gov.in/hi/node/15021

वरिष्ठ पेंशन तथा सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना -

यह योजना थारू जनजाति के बुजुर्ग लोगों को पेंशन का लाभ पहुंचा रही है तथा बी0पी0एल0 परिवार के लोग सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्ड खूब बनवा रहे हैं लेकिन वे इलाज अपने स्तर से ही करा रहे हैं। जानकारी के अभाव में वे निर्धारित चिकित्सालयों के स्थान के बजाय अन्य चिकित्सालय में चले जाते हैं, जिससे वे लाभ सं वंचित हो रहे हैं। फिर भी इसकी प्रासंगिकता को इस समाज के लिए नकारा नहीं जा सकता। लोग सुशीला तिवारी चिकित्सालय हल्द्वानी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खटीमा, सितारगंज, जिला चिकित्सालय रूद्रपुर व रतुड़ी अस्पताल में इन कार्डों से लाभ ले रहे हैं।

समेकित जलागम विकास परियोजना (2001) –

यह परियोजना चैमेला, बमनपुरी, लौका, थारू तिसौर, नकुलिया, भिटौरा, बरुआबाग, सिसौना, सैंजनी, पिण्डारी, करटघरिया, मलपुरा, बघौरा व तुर्का तिसौर आदि क्षेत्र में कैलास व बैगुल नदी के बीच के थारू बाहुल गाँव में चलायी गई। इस परियोजना ने उपरोक्त गाँवों के विकास में सबसे अधिक योगदान न्यूनतम समय में दिया है तथा यह परियोजना भ्रष्टाचार रहित रही है तथा सरकारी कर्मचारियों ने तन-मन से क्षेत्र के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया है। सभी काम बड़े गुणवत्ता पूर्ण रहे हैं। केवल मछली पालन योजना ही असफल रही है। इस परियोजना के माध्यम से मुर्गी पालन, पशुपालन, कृषि, सिंचाई, गोबर गैस, उद्यान, स्वरोजगार से सम्बन्धित प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूहों का गठन, महिला सशक्तिकरण, खड़ंजा निर्माण, डीजल इन्जन का वितरण, चारा बीज, उन्नत किस्म के बीजों का वितरण बड़े ही अच्छे ढंग से हुआ है। महिलाओं को पहली बार दूसरे शहर टूर के माध्यम से जाने का अवसर प्राप्त हुआ और जनजाति के सामान की बिक्री मेलों, प्रदर्शनी आदि में होने लगी। महिलाओं को जलागम के माध्यम से अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हुई। इससे दूसरे क्षेत्र की थारू महिलाओं में जागरूकता फैली। वे अब स्वयं सिद्धा और ब्लाक के स्वयं सहायता समूह बनाकर जुड़ने लगीं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 शुरू की गई एक योजना है.इस योजना के तहत गरीब परिवारों या बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देने की सुविधा है.भारत की अधिकांश जनसँख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है तथा लगभग 28% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है.ये गरीब परिवार खाना बनाने के लिए ईधन के लिए लकड़ी या मिटटी के चूल्हों का प्रयोग करते हैं.इससे वायु प्रदुषण होता है,लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ने के साथ साथ जंगलों की कटाई से पर्यावरण को हानि होती है.थारू जनजाति जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं एवं लगभग 50% जनसँख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करती है,यह योजना काफी लाभदायक है.इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सेहत की सुरक्षा करने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है.इस योजना के फलस्वरूप

धुवें की कमी से मृत्यु में कमी होगी.महिलाओं के साथ साथ बच्चों को स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं की कमी होगी.वे परिवार जिनकी मासिक आय 3000 रूपये से भी कम है वे व्यक्तिगत रूप से एलपीजी कनेक्शन लेने में असमर्थ हैं क्यूँ की नए कनेक्शन की कीमत लगभग 3000 रूपये के आस पास है.इस प्रकार यह योजना थारू जनजति विशेषकर वे परिवार जो गरीब हैं उनके लिए संजीवनी है।

स्रोत-भारत में सरकारी योजनायें

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम -

यह कार्यक्रम देश के अन्य हिस्सों के साथ थारू बाहुल्य क्षेत्र में भी विभिन्न चरणों के माध्यम से 15-35 आयुवर्ग के लोगों के लिए चलाया गया। पहला चरण सम्पूर्ण साक्षरता अभियान (2001), दूसरा चरण उत्तर साक्षरता एवं अब साक्षर भारत (2008) कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन कार्यक्रमों को आंशिक सफलता ही प्राप्त हुई है क्योंकि बजट की कमी, 15-35 आयुवर्ग कार्यशील जनसंख्या मुख्य कारण है। लेकिन महिलाओं ने इन कार्यक्रमों का लाभ उठाया है तथा 10 प्रतिशत अशिक्षित महिला और 3 प्रतिशत अशिक्षित पुरुष इन कार्यक्रमों के माध्यम से साक्षर हुए हैं।

महिला समाख्या -

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण पर जोर देने के लिए महिला समाख्या कार्यक्रम 1989 में शुरू किया.महिला समाख्या कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई महिलाओं के लिए चलाया गया कार्यक्रम है.इसके अतिरिक्त वे महिलायें जो अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति से सम्बन्धित है,भूमिहीन परिवारों से सम्बंधित महिलायें एवं सीमांत परिवार सम्बंधित महिलायों को इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा का अवसर प्रदान करना है.महिलाओं को शिक्षित बनाने एवं समानता हांसिल करने में महिला समाख्या कार्यक्रम को पहचाना जाता है.महिला समाख्या कार्यक्रम के अंतर्गत महिला संघ द्वारा गांव स्तर पर महिलाओं के मिलने,प्रश्न पूछने,एवं महिलाओं को होने वाली समस्याओं पर अपने विचार प्रकट करने के लिए एक स्थान प्रदान करती है. इस कार्यकर्म के मध्ह्यम से बच्चों मुख्य रूप से बालिकाओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है ताकि लड़कियों को भी बराबर का दर्जा एवं अवसर मिल सके।

स्रोत -/hi.vikaspedia.in/ and Mhrd.gov.in/mahila

यह योजना महिला सशक्तिकरण में थारू जनजाति के लिए,जहां पहले से शिक्षा का स्तर काफी निच्वे हैं एवं लड़कियां बमुश्किल शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं, अपना अहम योगदान दे रही है। तथा इस योजना के माध्यम से कई ड्राप आउट किशोरियों को अपनी शिक्षा पूरी करने में मदद मिली है महिला अधिकार, जनजागरूकता के क्षेत्र मे यह थारू समुदाय के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। महिलाओं के शोषण के

खिलाफ इसमे एक सशक्त आवाज उठाने का काम किया है तथा थारू महिलाओं को अपने अधिकार के लिए एक मंत्र भी प्रदान किया है।

समाज कल्याण विभाग की योजनाएं -

थारू समुदाय हेतु समाज कल्याण विभाग कृत संकल्प है तथा इसने थारू समाज के आधुनिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। आज थारू समाज में जो साक्षरता तथा माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा तक पहुंच समाज कल्याण विभाग द्वारा ही पूरी हुई है क्योंकि इस विभाग द्वारा इस वर्ग के छात्र-छात्राओं को नियमित छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। तकनीकी शिक्षा हेतु भी छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। खटीमा (1996) एवं गूलरभोज (1996) में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना जनजाति हेतु की गई है। जहाँ इस वर्ग के प्रशिक्षार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण मुफ्त आवास व भोजन, किताबें तथा वर्दी दी जा रही हैं। नैनीताल के पाइन्स स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (1949) तीस वर्षों से इस वर्ग के छात्रों को अपनी निःशुल्क सेवा दे रहा है। विवाह हेतु सहायता, विधवा, विकलांग एवं वृद्धा पेंशन के माध्यम से इस वर्ग को लगातार सहायता प्राप्त हो रही है, जो इसके पात्र हैं। जनजातीय उपयोजना के तहत थारू बाहुल्य क्षेत्र में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।

इन्दिरा आवास योजना -

इंदिरा आवास योजना की शुरआत वर्ष 1996 में की गई.इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजाति ,मुक्त कराये गए बंधुवा मजदूरों,एवं गैर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए आवास का निर्माण या कच्चे आवासों के मरम्मत के लिए सरकार द्वारा अनुदान के रूप पूर्ण राशी दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत पहले 5,000 (1996) फिर 10,000 (1997), 20,000 (2001), 40,000 (2008) अब 45,000 (2011) पक्का आवास एवं शौचालय निर्माण हेतु अनुदान में दिये जाते रहे हैं.इस योजना के अंतर्गत मकान का निर्माण लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जाता है.वह चाहे तो स्वयं श्रमिक के रूप में काम कर सकता है या कुशल श्रमिकों को के माध्यम से मकान का निर्माण कर सकता है.ठेकेदारी प्रथा की इस परियोजना में मनाही है.मकान बन्ने के पश्चात मकान की गुणवत्ता का उत्तरदायित्व लाभार्थी का होता है.सर्वेषण के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों से पता चलता है की लगभग 40% थारू परिवार ऐसे हैं जिनके मकान कच्चे हैं.थारू जनजाति जिसकी आधे से अधिक आबादी गरीबी में जीवन यापन करती है,के लिए एक लाभदायक योजना है। थारू जनजाति की आवास की समस्या इस योजना के माध्यम से बी0पी0एल0 परिवार की काफी कम हुई है। अब 60% प्रतिशत आबादी (थारू) पक्के आवास में निवास करती है।

प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण-

यह योजना इंदिरा आवास योजना का ही परिवर्तित या कहैं आधुनिक रूप है.इससे पहले इंदिरा आवास योजना के होने के बावजूद इस योजना को शुरू करने के कुछ कारण थे.वर्ष 2014 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा (CAG) द्वारा कार्यों के मूल्याङ्कन के दौरान योजना के क्रियान्वयन में अनेक कमी एवं अनियमित्ता पाई गई जैसे मकानों की कमी,निर्माण कार्य में अनियमित्ता,लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता में कमी,मकानों की गुणवत्ता में कमी,तकनिकी सर्वेक्षण में कमी,तालमेल में कमी,इत्यादि.इन कारणों से योजना के सही परिणाम नहीं आ रहे थे.सरकार द्वारा इन कमियों को दूर करने एवं 2022 तक सभी के लिए मकान उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्दता को ध्यान में रखते हुए 1.4.2016 से प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण को पुनर्गठित किया गया .इस योजना के अंतर्गत मकान का आकार 20 वर्ग मीटर से बढ़ा कर 25 वर्ग मीटर रसोई घर सहित कर दिया गया है.इस योझ्ना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशी मैदानी क्षेत्रो में 70000 रूपये से बढाकर 1 लाख 20000 रूपये कर दिया गया है.इस योजना की लागत का वहन केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच मैदानी इलाकों में 60:40 के अनुपात में तथा पर्वतीय क्षेत्र में 90:10 के अनुपात में किया जाएगा।

यह जनजाति के परिवारों को पक्का मकान बनाने हेतु अनुदान प्रदान करती है तथा 100 प्रतिशत इसमें छूट का प्रावधान है। यह योजना उन लोगों के लिए लाभदायक है जो इन्दिरा आवास से वंचित रह गये हैं।

अटल पेंशन योजना-

अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक फायदेमंद सामाजिक सुरक्षा योजना है.क्यूंकि अधिकाश थारू परिवार के लोग कृषि में लगे होने के साथ साथ असंगठित क्षेत्रों से जुड़े हुए है,दैनिक मजदूरी करते हैं,यह योजना काफी फायदेमंद है.इसका फायदा न केवल निवेश करने वाले व्यक्ति को मिलता है बल्कि उसकी म्रत्यु के बाद उसकी पत्नी एवं पत्नी की मृत्यु के बाद बच्चों को भी मिलता है.यह योजना केंद्र सरकार द्वारा मई 2015 में शुरू की गई थी.इस योजना से पहले असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए कोई योजना नहीं थी.इस योजना का लाभ 18 से 40 उम्र तक लोग उठा सकते हैं.साथ ही साथ वे लोग जो आयकर के दायरे से बाहर हैं वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते है.इस योजना के अंतर्गत 20 साल तक कुछ रुपया इस योजना में निवेश करना होता है.इसके पश्चात आप एक नियमित पेंशन पाने के हक़दार हो जाते हैं .इसके लिए आपके पास आधार कार्ड एवं बैंक खाता होना आवश्यक है.इस योजना में निवेश करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी एवं पत्नी की मृत्यु के बाद बच्चे पेंशन के हक़दार होते है.इस योजना को 6 भागों में बांटा गया है।

आयुष्मान भारत योजना-

आयुष्मान भारत योजना केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्वास्थ्य योजना है.इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है.इस योजना को 1 अप्रैल 2018 से पूरे भारत में लागु किया गया है. इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वस्थ्य संबधी बीमा प्रदान करना है.इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार का 5 लाख रूपये तक का सालाना बीमा किया जाता है.भारत में लगभग 10 करोड़ गरीब परिवार हैं(लगभग 50 करोड़ लोग) जिन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है.थारू जनजाति के परिवारों के लिए यह योजना अति महत्वपूर्ण योजना साबित हुई है.आर्थिक रूप से कम्जूर यह वर्ग स्वास्थ्य सुविधाओं के महंगे होने के कारण कर्ज लेने की स्थिति में आ जाते हैं.सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 7% परिवार ऐसे हैं जो बीमारी के उपचार के लिए ऋण लेने को मजबूर हैं.ऐसे में यह योजना थारू जनजाति के गरीब परिवारों के लिए एक उत्तम योजना है.इस योजना का लाभ न केवल सरकारी अस्पतालों में मिलेगा,बल्कि कई निजी अस्पतालों को भी इस योजना के साथ जोड़ा गया है.योजना के अंतर्गत संक्रामक रोग,दांतों के रोग,मानसिक बीमारी का प्रबंधन,गर्भवती महिलाओं की देखभाल,नवजात एवं शिशु सेवायें तथा जीर्ण संक्रामक रोगों को बीमा के अन्दर शामिल किया गया है.इस योजना का लाभ सम्पूर्ण भारत में कहीं भी लिया जा सकता है तथा बिना पैसे दिए योजना का लाभ लेने की भी अनुमति है चाहे अस्पताल सरकार हो अथवा निजी।

स्रोत-भारत में सरकारी योजना https://hi.wikipedia.org8B%

उच्च शिक्षा छात्रविवित्ति योजना-

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने लिए राजीव गाँधी राष्ट्रीय छात्रविवित्ति योजना प्रारंभ की गई है.यह योजना जनजाति मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है.वर्तमान में इस योजना का नाम "नेशनल फेल्लोशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर एसटी" नाम दिया गया है.यह योजना अनुसूचित जनजाति के उन विद्यार्थियों के लिए है जो नियमित माध्यम से M.phill या P.hd की पढाई विज्ञान,कला,सामाजिक विज्ञान,इंजीनिअरिंग तथा तकनीक से कर रहे हैं.इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है क्यूंकि वर्तमान समय में हमारे देश में सबसे कम शाक्षरता दर अनुसूचित जनजाति के लोगों की है.यह योजना थारू जनजाति के परिवारों के लिए भी काफी उपयोगी है क्यूंकि इस जनजाति के लोगों का शैक्षिक स्तर अभी भी काफी नीचे है.यदि हम सर्वेक्षणों के आंकड़ों को देखें तो केवल 8 से 12% लोगों ने स्नातक की पढाई पूरी की हैं एवं 5 से 6% लोग ही हैं जो परास्नातक की डिग्री लिए हुए हैं.इतनी अल्प संख्या में लोगो का उच्च शिक्षा प्राप्त करना एक सोचनीय स्थिति है.अतः थारू जनजाति के लोगों इस योजना से लाभान्वित होने एक अच्छा मौका सरकार द्वारा दिया है.

स्रोत-https://www.ugc.ac.in/pdfnews/0242709_Revised-guidelines-of-NFSTS.pdf

पोस्ट मीट्रिक छात्रवृत्ति योजना-

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मीट्रिक छात्रवृति योजना की शुरुआत 1944-45 के दौरान में हुई थी.समय समय पर इस योजना में संशोधन किये गए तथा अंतिम संशोधन वर्ष 2010 में किया गया.यह योजना केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है एवं राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाता है.इस योजना में 10वीं के पश्चात या 12वीं के पश्चात छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.इस योजना के अंतर्गत वे अनुसूचित जनजाति के परिवार पात्र हैं जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम है.वे छात्र जो पत्राचार के माध्यम से पढाई कर रहे हैं वे भी इसके लिए पात्र है.थारू जनजाति के परिवारों के आंकड़ों को देखें तो लगभग 35% बच्चे मीट्रिक पास हैं तथा 22% बच्चे 12वीं पास हैं .इस प्रकार यह छात्रवृत्ति योजना थारू जनजाति के गरीब परिवारों के अत्यंत उपयोगी है.यदि हम सालाना आय को देखें तो लगभग 60 से 100 परिवार ऐसे हैं जिनकी सालाना आया 2 लाख या उससे कुछ अधिक है.इस तरह से ऐसे परिवार इस योजना का लाभ उठाकर अपनी उच्च शिक्षा को जारी रख सकते है।

स्रोत-hi.vikaspedia.in/

अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रावास-

अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा हेतु उन्हें बेहतर आवासीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से तीसरी पंचवर्षीय योजना से इनके लिए छात्रावास की योजना प्रारंभ की गई.इस योजना के अंतर्गत राज्यों को 50% तथा संघों को 100% केंद्र द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

स्रोत-भारत सरकार की योजनायें ।